वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 16.04.2025

अपर सचिव ने निरीक्षण कर सील कराया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने मंगलवार को सेंट्रल जेल रोड से बाबतपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिकरौल वार्ड के सेंट्रल जेल रोड की ज्ञानवती सिंह के निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण किया। निर्माणकर्ता को दो मंजिल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। बावजूद इसके 100 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण कराया गया था। इसके आधार पर भवन को सील कर दिया गया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 16.04.2025

सेंट्रल जेल रोड पर भवन सील किया

वाराणसी। विकास प्राधिकरण प्रशासन ने मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शिवपुर, सिकरौल, बाबतपुर क्षेत्र में निरीक्षण किया। सेंट्रल जेल रोड पर तीन मंजिल भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने पर इसे सील किया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार आदि रहे।

न्यायाधीश–दि0 16.04.2025

अपर सचिव ने द्वारा जोन-1 वार्ड सिकरौल के निरीक्षण के दौरान की गई सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में में जोन-1 वार्ड-सिकरौल सेन्ट्रल जेल रोड से वार्ड- शिवपुर, बाबतपुर तक अपर सचिव गुडाकेश शर्मा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन-1,वार्ड-सिकरौल की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत ज्ञानवती सिंह पतनी सुरेंद्र सिंह द्वारा सेन्ट्रल जेल रोड मौजा सिकरौल वार्ड-सिकरौल जिला वाराणसी में ऑनलाईन मैप न0-वीडीए/वीपी/24-25/0324 के अन्तर्गत जी0+2 स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 100 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आज दिनांक 15-04-2025 को भवन को सील कर दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार उपस्थित रहे ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 16.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। जोन-1 वार्ड-सिकरौल सेन्ट्रल जेल रोड से वार्ड- शिवपुर, बाबतपुर तक अपर सचिव गुडाकेश शर्मा महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन-1,वार्ड-सिकरौल की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत ज्ञानवती सिंह पत्नी सुरेंद्र सिंह द्वारा सेन्ट्रल जेल रोड मौजा सिकरौल वार्ड-सिकरौल जिला वाराणसी में ऑनलाईन मैप न0-वीडीए/बीपी/24-25/0324 के अन्तर्गत जी0+2 स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 100 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आज दिनांक 15-04-2025 को भवन को सील कर दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार उपस्थित रहे । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 16.04.2025

वाराणसी में क्यूआर कोड से पहचाने जाएंगे वैध और अवैध निर्माण

वाराणसी। शहर में वैध और अवैध निर्माण की पहचान अब क्यूआर कोड से होगी। नोटिस के नीचे क्यूआर कोड अंकित किए जाएंगे। इससे जांच करने जाने वाले अधिकारियों को सहूलियत होगी। विकास प्राधिकरण की ओर से व्यावसायिक निर्माण कार्यस्थलों से

इसकी शुरुआत की है। क्यूआर कोड के जरिये जांच के लिए जाने वाले अधिकारी आसानी से यह पता कर लेंगे कि निर्माण वैध है अथवा अवैध है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार नोटिस के नीचे क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा। इससे निर्माणकर्ताओं को भी सहूलियत होगी। साथ ही वीडीए के जांच अधिकारियों को भी जांच करने में सहूलियत होगी।